

राजस्थान-सरकार  
कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय- आदेश

राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 50 (1) के अंतर्गत श्री सुरेश चन्द मीणा, व्याख्याता राजनीति विज्ञान, राउमावि पनेर, अजमेर ने दिनांक-27.11.2018 को नोटिश प्रस्तुत कर दिनांक 15.01.2019 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति चाही है। जिनकी जन्म तिथि 23.07.1968 है।

श्री सुरेश चन्द मीणा, व्याख्याता राजनीति विज्ञान, राउमावि पनेर, अजमेर ने 15 वर्ष की अर्हकारी सेवाएं तथा 45 वर्ष की आयु दोनों शर्तें पूर्ण करती है। अतः राजस्थान सिविल सेवा नियम (पेंशन) नियम 1996 नियम 50(1) के प्रावधानान्तर्गत दिनांक 15.01.2019 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति एतद् द्वारा स्वीकृती की जाती है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर नामित श्री सुरेश चन्द मीणा, व्याख्याता राजनीति विज्ञान, राउमावि पनेर, अजमेर के विरुद्ध आज तक -

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम - 16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लंबित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम - 19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया कि कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।

नोट:- सेवानिवृत्ति दिनांक तक कार्मिकों के विरुद्ध कोई प्रतिकूल कार्यवाही होती है, तो संस्था प्रधान तत्काल इस कार्यालय को सूचित करें।



(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.

निदेशक,


माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर

क्रमांक शिविरा-मा/संस्था/सी-6/राज.विज्ञान/स्वै.सेनि/31901/2011  
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

दिनांक- 19 / 12 / 2018

1. संयुक्त निदेशक पेंशन विभाग.....
2. उपनिदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग ———
3. संबंधित संयुक्त निदेशक/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा.....
4. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी.....
5. प्रधानाचार्य, राउमावि पनेर, अजमेर।
6. श्री सुरेश चन्द मीणा, व्याख्याता रा0वि0, राउमावि पनेर, अजमेर।
7. अनुभाग अधिकारी कम्प्युटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर।
8. अनुभाग अधिकारी वरिष्ठता/एसीआर/एबी/ओएसी संस्थापन सी अनुभाग।
9. निजी/रक्षित पत्रावली।

  
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर

## कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर आदेश

निम्नांकित कार्मिक जो प्राध्यापक स्कूल शिक्षा राजनीति विज्ञान के रूप में उनके नाम के सम्मुख विद्यालयों/संस्था में कार्यरत है, को अधिवार्षिकी की आयु पूर्ण कर लेने पर उनके नाम के सामने कॉलम संख्या 05 से अंकित तिथि से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम प्राध्यापक (रा0वि0) एवं समकक्ष मय पदस्थापन स्थान (राउमावि/राबाउमावि) श्री/सुश्री/श्रीमती	जिला	जन्मतिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
1	2	3	4	5
1	श्रीमति भगवती देवी-बालोतरा	बाड़मेर	01.01.1959	31.12.2018
2	श्री ओम प्रकाश दुआ-शाहपुर, बानसूर	अलवर	03.01.1959	31.01.2019
3	श्री ईश्वर सिंह महरिया-सेठ हरसहायमल झूथालाल सेफरागुवार	झुंझुनूं	05.03.1959	31.03.2019

राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है ।

राजस्थान सिविल सेवा ( वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-1958 के नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है ।

कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है ।

नोट:- सेवानिवृत्ति दिनांक तक कार्मिकों के विरुद्ध कोई प्रतिकूल कार्यवाही होती है, तो संस्था प्रधान तत्काल इस कार्यालय को सूचित करें ।

(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.

निदेशक,

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा/मा/संस्था/सी-6/राज.विज्ञान/सेवानिवृत्ति/2018-19/2018

दिनांक:- 19 .12.2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. संयुक्त निदेशक पेंशन विभाग .....
2. उपनिदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग ——
3. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा .....
4. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी.....
5. संबंधित संस्था प्रधान.....
6. संबंधित कार्मिक.....
7. अनुभाग अधिकारी कम्प्युटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु ।
8. निजी/रक्षित पत्रावली ।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर